

GOVT. HOLKAR (MODEL AUTONOMOUS) SCIENCE COLLEGE, INDORE



(An ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified Institution)



SSR DOCUMENT

2017-18 TO 2021-22

CRITERION – 6

Governance, Leadership and Management

Metric No.:6.2.1

Document Title:

Policy for Appointment as per MPPSC

तमसो मा ज्योतिर्गमय



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक परीक्षा - 2017

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 07/2017/ 12.12.2017

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 24.01.2018

महत्वपूर्ण

- 1- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे. आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2017 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.01.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-
हेल्पलाइन :- 0755-4019400
- 2- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 30.12.2017 से 26.01.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा।
- 3- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तजन आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे।
- 5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविर्लंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

वैकलांग पद :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		SC	ST	OBC	कुल	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वनस्पति शास्त्र	0	9	0	9	0	3	0	0	0	0
2	रसायन शास्त्र	4	36	0	40	1	12	0	0	3	2
3	वाणिज्य	37	53	0	90	12	17	0	3	5	4
4	नृत्य	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0
5	अर्थशास्त्र	24	62	4	90	8	20	1	2	4	3
6	अंग्रेज़ी	24	58	17	99	8	19	6	2	5	5
7	भूगोल	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
8	भूगर्भशास्त्र	4	4	1	9	1	1	0	0	0	0
9	हिंदी	30	40	5	75	10	13	2	2	5	5
10	गृह विज्ञान	11	16	0	27	4	5	0	2	2	2
11	विधि	13	14	2	29	4	5	1	1	1	1
12	गणित	9	38	0	47	3	13	0	1	2	2
13	सैन्य विज्ञान	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
14	संगीत	2	2	0	4	1	1	0	0	0	0
15	दर्शनशास्त्र	3	4	1	8	1	1	0	0	0	0
16	भौतिक शास्त्र	4	2	0	6	1	1	0	2	2	2
17	राजनीति शास्त्र	24	47	8	79	8	16	3	0	4	4
18	मनोविज्ञान	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0
19	लोक प्रशासन	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
20	समाजशास्त्र	24	33	0	57	8	11	0	1	3	3
21	उर्दू	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
22	प्राणी शास्त्र	0	14	0	14	0	5	0	0	2	0
	योग	221	447	39	707	72	147	13	17	38	33

पदोन्नति/ सेवा निवृत्ति से रिक्त पद

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एकताकल्चर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	अरबी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	जीव रसायन	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
4	वनस्पति शास्त्र	17	0	24	33	74	6	0	8	11	3	4	5
5	रसायन शास्त्र	4	4	15	47	70	1	1	5	16	2	5	6
6	वाणिज्य	25	2	9	28	64	8	1	3	9	3	5	4
7	अपराधशास्त्र	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	नृत्य	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	चित्रकला	1	0	3	3	7	0	0	1	1	0	0	0
10	अर्थशास्त्र	15	3	8	38	64	5	1	3	13	0	4	3
11	अंग्रेज़ी	4	5	11	36	56	1	2	4	12	3	4	4
12	भूगोल	16	3	6	11	36	5	1	2	4	2	3	3
13	भूगर्भशास्त्र	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0
14	हिंदी	0	4	2	45	51	0	1	1	15	3	3	5
15	इतिहास	27	1	10	30	68	9	0	3	10	1	2	5
16	इतिहास (प्राचीन)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	गृह विज्ञान	0	0	0	10	10	0	0	0	3	1	2	2
18	ज्योतिष	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	विधि	58	1	13	10	82	19	0	4	3	1	2	2
20	गणित	20	5	8	17	50	7	2	3	6	0	3	2
21	सैन्य विज्ञान	3	1	2	2	8	1	0	1	1	0	0	0
22	दर्शनशास्त्र	1	0	2	3	6	0	0	1	1	0	0	0
23	भौतिक शास्त्र	22	0	34	29	85	7	0	11	10	2	3	3
24	राजनीति शास्त्र	17	11	7	41	76	6	4	2	14	2	4	4
25	मनोविज्ञान	0	0	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0
26	संस्कृत	16	0	0	11	27	5	0	0	4	0	2	1
27	संस्कृत ज्योतिष	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	संस्कृत प्राच्य	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
29	संस्कृत साहित्य	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
30	संस्कृत व्याकरण	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
31	समाजशास्त्र	0	11	16	32	59	0	4	5	11	2	3	3
32	सांख्यिकी	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
33	उर्दू	10	4	6	2	22	3	1	2	1	0	1	1
34	वेद	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0
35	प्राणी शास्त्र	21	8	15	42	86	7	3	5	14	3	3	3
36	संगीत गायन	0	1	1	2	4	0	0	0	1	0	0	0
	योग	290	67	199	484	1040	91	21	64	162	28	53	56

नवीन सृजित पद :

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वनस्पति शास्त्र	48	15	19	13	95	16	5	6	4	2	5	4
2	रसायन शास्त्र	92	29	37	26	184	30	10	12	9	4	6	5
3	ऑर्गेनिक रसायन	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0
4	भौतिक रसायन	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
5	वाणिज्य	48	15	19	13	95	16	5	6	4	4	4	4
6	अर्थशास्त्र	34	11	13	9	67	11	4	4	3	1	2	3
7	अंग्रेज़ी	54	17	22	15	108	18	6	7	5	2	2	2
8	भूगोल	20	6	8	6	40	7	2	3	2	1	1	1
9	हिंदी	52	16	20	14	102	17	5	7	5	2	2	3
10	इतिहास	39	12	15	11	77	13	4	5	4	2	2	2
11	विधि	29	9	12	8	58	10	3	4	3	1	1	1
12	गणित	35	11	14	10	70	12	4	5	3	0	3	3
13	भौतिक शास्त्र	65	21	26	18	130	21	7	9	6	3	4	5
14	राजनीति शास्त्र	30	9	12	8	59	10	3	4	3	1	2	3
15	समाजशास्त्र	22	7	9	6	44	7	2	3	2	1	3	3
16	प्राणी शास्त्र	44	14	17	12	87	15	5	6	4	4	3	3
	योग	616	192	244	169	1221	205	65	81	57	28	40	42

दो - पद का विवरण

- (A) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
- (B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (C) पद स्थिति : स्थायी
- (D) वेतनमान : रुपये 15600-39100 + एजीपी 6000
- (E) कर्तव्य : शैक्षणिक कार्य
- (F) पद का नाम : सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)
- (G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड- जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो-तदनुसार एक पाइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो-किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो-अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो

- (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा-अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

टीप- मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

- (iii) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है- इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है)-ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी- जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल./ पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

- (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गयी हो
- (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो
- (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों
- (ङ.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो
- उपर्युक्त (क) से (ङ.) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

टीप मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि:

11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

- (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं-उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (v) यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 4 मई 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विभिन्न शारीरिक विकलांगता वाली

(शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर किसी भी "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गयी है-वे अनुमत होंगी-जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेंगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

(vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए-55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

टीप:- 01 सभी विज्ञापित विषयों में नेट/स्लेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 15/11/2017)

क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय	क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय
1	एक्वाकल्चर	लाईफ साइंस	21	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
2	रसायन शास्त्र	केमिकल साइंस	22	लोक प्रशासन	लोक प्रशासन
3	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	23	संगीत	संगीत
4	आर्गनिक रसायन	केमिकल साइंस	24	संगीत गायन	संगीत
5	फिजिकल रसायन	केमिकल साइंस	25	हिन्दी	हिन्दी
6	भूगर्भ शास्त्र	अर्थ साइंस	26	संस्कृत	संस्कृत
7	राजनीति शास्त्र	राजनीति शास्त्र	27	उर्दू	उर्दू
8	वनस्पति शास्त्र	लाईफ साइंस	28	अरबी	अरबी
9	जीव रसायन	लाईफ साइंस	29	अंग्रेजी	अंग्रेजी
10	दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र	30	विधि	विधि
11	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान	31	अपराध शास्त्र	अपराध शास्त्र
12	प्राणी शास्त्र	लाईफ साइंस	32	ज्योतिषि	संस्कृत ट्रेडीशनल सबजेक्ट
13	गणित	मैथमेटिकल साइंस	33	संस्कृत ज्योतिषि	
14	सांख्यिकी	मैथमेटिकल साइंस	34	संस्कृत प्राच्य	
15	भौतिक शास्त्र	फिजिकल साइंस	35	संस्कृत व्याकरण	
16	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र	36	संस्कृत साहित्य	
17	इतिहास	इतिहास	37	वेद	
18	इतिहास-प्राचीन	इतिहास	38	चित्रकला	विजुअल आर्ट्स
19	वाणिज्य	वाणिज्य	39	भूगोल	भूगोल
20	सैन्य विज्ञान	डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़	40	नृत्य	परफार्मिंग आर्ट्स

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 28.11.2017 द्वारा निम्न विषयों के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	वनस्पतिशास्त्र (Botany)	1. सूक्ष्म जीवविज्ञान (Micro Biology) 2. जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology) 3. जीव विज्ञान (Bio Science) 4. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) 5. फारेस्ट्री (Forestry) 6. बायोकेमिस्ट्री (Bio Chemistry) 7. जैव सूचना विज्ञान (Bio Informatic Science)

		8. आनुवंशिकी (Genetics)
2	वाणिज्य (Commerce)	1. लेखांकन (Accountancy) 2. प्रबंधन (Management) 3. लेखा प्रबंधन (Accounts Management)
3	अर्थशास्त्र (Economics)	1. एम. बी. ई. (Master of Business Economics) 2. व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics)
4	भूगोल (Geography)	1. समुद्र विज्ञान (Oceanography) 2. मौसम विज्ञान (Meteorology)
5	भूगर्भशास्त्र (Geology)	1. एप्लाइड जियोलॉजी (Applied Geology) 2. पैलेन्टोलॉजी (Palaeontology) 3. जियो फिजिक्स (Geophysics) 4. भू-विज्ञान (Earth Science) 5. रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing)
6	हिन्दी (Hindi)	1. भाषा विज्ञान (Linguistics) 2. अनुवाद विज्ञान (Translation Science)
7	इतिहास (History)	1. आधुनिक इतिहास (Modern History) 2. मध्यकालीन इतिहास (Medieval History) 3. प्राचीन इतिहास (Ancient History)
8	गणित (Mathematics)	1. कम्प्यूटेशनल मैथेमेटिक्स (Computation Mathematics) 2. व्यावहारिक गणित (Applied Mathematics) 3. औद्योगिक गणित (Industrial Maths) 4. इंजीनियरिंग मैथ्स (Engineering Maths) 5. सांख्यिकी (Statistics) 6. मैथेमेटिकल साइन्स (Mathematical Science)
9	भौतिकशास्त्र (Physics)	1. व्यावहारिक भौतिकी (Applied Physics) 2. पदार्थ विज्ञान (Material Science) 3. इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics)
10	राजनीतिशास्त्र (Political Science)	1. लोक प्रशासन (Public Administration) 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation)
11	मनोविज्ञान (Psychology)	1. चिकित्सकीय मनोविज्ञान (Clinical Psychology)
12	समाजशास्त्र (Sociology)	1. सोशल वर्क (Social Work) 2. मानवशास्त्र (Anthropology)
13	प्राणीशास्त्र (Zoology)	1. मत्स्य विज्ञान (Fisheries) 2. एक्वाकल्चर (Aquaculture) 3. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) 4. बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) 5. सरोवर विज्ञान (Limnology) 6. कीट विज्ञान (Entomology) 7. जैव प्रौद्योगिकी (Bio-Technology) 8. जीव विज्ञान (Bio Science) 9. आनुवंशिकी (Genetics) 10. जैव सूचना विज्ञान (Bio-Informatics)
14	रसायन शास्त्र (Chemistry)	1. व्यावहारिक रसायनशास्त्र (Applied Chemistry) 2. पर्यावरण रसायनशास्त्र (Environmental Chemistry) 3. फार्मास्युटिकल रसायन (Pharmaceutical Chemistry) 4. भौतिक रसायन (Physical Chemistry)

		5. कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) 6. अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry) 7. औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) 8. विश्लेषणात्मक रसायन (Analytical Chemistry)
15	संस्कृत (Sanskrit)	1. योगा (Yoga)

- (1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिये गए हैं तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- (3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा।

(H) आयु सीमा: मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-1, दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार)

(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2018

- तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.01.2018 तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताये अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।
- (iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (v) सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार निःशक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी। न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं तथा अन्य प्रदेशों के निःशक्तजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।
- (vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवार्य (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

छ: अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया :-

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तियों तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययन शालाओं में अतिथि विद्वान है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाये जायेंगे केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर सूचित किया जायेगा।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

(5) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-4 देखें। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध है जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि एवं तत्सम्बंधी व्यवस्था यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

आठ ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :- ऑनलाइन परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना तथा उज्जैन स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। आवेदकों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित शहर केंद्र ही आबंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आबंटित किया जा सकेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारीयां यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नौ आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट -1
- (ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था परिशिष्ट -2
- (iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारीयां परिशिष्ट -3
- (iv) परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट -4
- (v) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश परिशिष्ट-5



सचिव

उच्चतर आयु सीमा में देय छूटें

- (1) मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में केवल एक बार के लिए 03 वर्ष की निम्नानुसार छूट दी जावे :-

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40+3 = 43 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/निःशक्तजन)	45+3 = 48 वर्ष

(2) मध्य प्रदेश के उन मूल निवासी अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति अकादमिक सत्र एक वर्ष के मान से निर्धारित आयु सीमा में निम्नानुसार अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावे :-

1.	पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए	40+5 = 45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/निःशक्तजन)	45+5 = 50 वर्ष
अतिथि विद्वानों के लिए यह छूट कंडिका 1 में दी गयी छूट के अलावा नहीं होगी।		

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोक्तानुसार मान्य किया जाएगा।

- (2) अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट:-

- 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट:- भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

स्पष्टीकरण -

- (1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।
- (2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से

डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- 5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :-

- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 बिन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
- (02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है)। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है)
- (03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रहेगी।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 22.09.2017 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति अकादमिक सत्र एक वर्ष के मान से निर्धारित आयु सीमा में निम्नानुसार अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाय :-

1.	पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए	40+5 = 45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+5 = 50 वर्ष
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोक्तानुसार मान्य किया जाएगा।		

अतिथि विद्वान प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगे। वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

- (1) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक
वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।		

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. आवेदक सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो म.प्र. मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।	
	2. आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विद्वानों को देय होगी तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए यह मान्य नहीं होगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रहेगी।	

- (2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -एक में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- (3) उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- (4) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।
- (5) जिन अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
- (6) मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों हेतु प्रमाणीकरण की व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अभिनिर्धारित रीति से की जाएगी।

कार्यालय, प्राचार्य, (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल:

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक:

स्थान:, दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री (अतिथि विद्वान का नाम)

आत्मज/आत्मजा श्री ने इस महाविद्यालय के

..... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य

संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडों की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम

प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

प्रपत्र-2

विषय: _____

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेंगे। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किये जावेंगे:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें।

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालयों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संग्रह प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
(प्रथम सत्र)							
(द्वितीय सत्र)							
(तृतीय सत्र)							
(चतुर्थ सत्र)							
(पंचम सत्र)							
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20):							

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान

अनुभव के कुल अंक :		(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
आयु सीमा में छूट :		
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:		

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक:

- टीप-1: आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2: जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- सहायक प्राध्यापक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

- | | |
|---|---|
| 1. www.mponline.gov.in | 2. www.mppscdemo.in |
| 3. www.mppsc.com | 4. www.mppsc.nic.in |

3- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र mponline के अधिकृत कियोस्क से आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करके भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों, नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8-

त्रुटि सुधार सुविधा :- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 30.12.2017 से 26.01.2018 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
₹ 500/-	₹ 1000/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार पोर्टल शुल्क देय होगा:-	
(1) एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने हेतु ₹ 150/- (GST सहित)	
(2) तथा स्वयं आवेदन पत्र भरने पर ₹ 100/- (GST सहित)	

टीपः आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा (पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा):-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : अभ्यर्थी आवेदन तथा परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के सिवा अन्य किसी भी राशि का भुगतान न करें तथा यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु Mponline से निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24.01.2018 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदन ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

अनुभव के प्रमाण पत्र :- अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

निःशक्तता प्रमाण-पत्र :- निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) निःशक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार निःशक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी। न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगे।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो की आवेदन की अंतिम तिथिको छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी

आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे प्रमाण-पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग को देय छूटों हेतु मान्य नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा :-

टीप- अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत करें।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ----- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2017 दिनांक 12.12.2017 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं -----पुत्र/पुत्री श्री----- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----जिला -----, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं -----जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- -----

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पता-----

आवेदन पत्र क्रमांक -----

मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण-पत्र तथा गणना पत्रक :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों / मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययनशालाओं में अतिथि विद्वान के रूप में संपादित कार्यानुभव का प्रमाण-पत्र संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से परिशिष्ट -2 में उल्लेखित प्रपत्र-1 में प्राप्त करें तथा कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का गणना-पत्रक प्रपत्र -2 में अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त करें। उक्त दोनों प्रपत्रों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(2) (1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट -1 की कंडिका-(2) (2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

- 5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभिलेखों के स्वप्रमाणन के संदर्भ में अनुदेश :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की छायाप्रतियों का प्रमाणन राजपत्रित अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं है। अभिलेखों की छायाप्रतियों का स्वप्रमाणन आवेदक द्वारा किया जा सकेगा। आवेदक ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रमाणित अभिलेख गलत तथा त्रुटिपूर्ण अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

6- अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित्त अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
- 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हों; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरह ठहरा सकेगा और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

- 7- अनर्हताये:-** ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

- 9- अत्यंत महत्वपूर्ण:-** आवेदक कृपया ध्यान रखें की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

- | | |
|---------------------|--|
| 1 पासपोर्ट | 6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2 मतदाता पहचान पत्र | 7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3 ड्रायविंग लायसेंस | 8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4 पैन कार्ड | 9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र |
| 5 आधार कार्ड | |

परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति

लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक के पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10- ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

- 01 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।
- 02 ऑनलाइन परीक्षा में अभिलेख जांच हेतु, अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरांत केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चयनित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों की जांच में अर्ह पाया जाएगा।
- 03 साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी। साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

11- यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-
1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
 2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 % या अधिक दृष्टिबाधित निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
- (ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- (स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 2. दृष्टिबाधित निःशक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code, आधार नंबर का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।
- (फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :-

लिखित परीक्षा कुल 400 अंक, साक्षात्कार कुल 50 अंक, इस प्रकार पूर्णांक कुल 450 अंकों का होगा। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित की जावेगी।

लिखित परीक्षा	विवरण	अंक
प्रश्न पत्र	विज्ञापित पद से संबंधित विषय	
	लिखित परीक्षा के कुल अंक	400
साक्षात्कार		50
	कुल अंक	450

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

- (1) प्रश्न-पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा।
- (2) प्रश्नपत्र, पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 400 होगा।
- (3) प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। किन्तु भाषागत विषयों के प्रश्न-पत्र की रचना केवल संबंधित भाषा में ही होगी।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(द) साक्षात्कार :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(इ) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में संबंधित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा अभिनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित गणना-पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(फ) चयन विधि :

अंतिम चयनफल, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता अंक को जोड़कर कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैं:-

परीक्षा पूर्व निर्देश

- 01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाइन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।
- 02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे।
- 03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-
हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2700406
ई-मेल- mppsonline@gmail.com
- 04 आयोग की वेबसाइट पर माँक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा।
- 05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके।
- 06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है।
- 07 दृष्टिबाधित तथा ऐसे निरुशक्तजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ हैं उन्हें प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघण्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
अ उक्त श्रेणी के केवल ऐसे निःशक्तजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगे।
आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
इ सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु -7 (5))
ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।
उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।
ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/ सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/ राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 08 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा। तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा।
- 09 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10. आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये हैं, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा। फोटो आई-डी की फोटोकॉपी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राइविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11. सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी।
12. आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा।
13. रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।
14. ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।
15. परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी. एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे।
16. परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे।
17. परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा।
18. परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात् स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा। उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
19. परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है।
20. प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था।

- 21 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।
- 22 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।
- 23 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।
- 24 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया

- 25 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।
- 26 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
 - अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
 - यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।
- 27 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।
- 28 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वेब साइट पर उपलब्ध रहेंगे ।
- 29 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की माडल उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक् से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-
 1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
 2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो
 3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी ।
 4. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा - 2022

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 40/2022/ 30.12.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

अंतिम तिथि 27.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.03.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 27.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों का भली भांति एवं सूक्ष्मता से समझने के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया जाएगा।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28.03.2023 से 29.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत ही सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि, परीक्षा केन्द्र एवं प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तथा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु प्राप्त शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी भी माध्यम से प्राप्त इस प्रकार के अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय ही किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें रहता है कि परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अन्य कोई भी औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अनिवार्यतः उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब सूचित करें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार-पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

विषय	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
	UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
भौतिकशास्त्र (Physics)	19	9	77	7	3	115	6	3	25	2	1	2	3	2	0
Abbreviations:	UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability														

दो - पद का विवरण

- (A) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
- (B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (C) पद स्थिति : स्थायी
- (D) वेतनमान : युक्तियुक्त एंटी पे रु. 57,700 अकादमिक स्तर 10
- (E) कर्तव्य : शैक्षणिक कार्य
- (F) पद का नाम : सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र
- (G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :
- (I) कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित / संगत / संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।
- (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि ।
टीप :- म.प्र. शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
- (iii) उपरोक्त उपधारा (I) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है - इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है । (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है) -ऐसे अभ्यर्थियों को नेट / स्लेट / सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी-जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरो अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है । तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल / पीएच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले

संस्थान के तत्कालिन अध्यादेश / उपविधि / विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट / स्लेट / सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी :

- (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।
- (ख) पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो।
- (ग) पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।
- (ङ.) अभ्यर्थी ने वि.अ.आ./ आईसीएसएसआर/ सीएसआइआर अथवा ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी. कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।

टीप मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर, 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

- (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/ स्लेट/ सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं, उनके लिए नेट/ स्लेट/ सेट की अनिवार्यता नहीं होगी ।
- (v) यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी । पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई भी स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "प्वाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है वे अनुमत होंगी जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी ।
- (vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ।

टीप:- 01 सभी विज्ञापित विषयों में नेट/स्लेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 15/11/2017)

क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय	क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय
1	जीव रसायन	लाईफ साइंस	19	सैन्य विज्ञान	डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टैडिज़
2	वनस्पति शास्त्र	लाईफ साइंस	20	संगीत	संगीत
3	रसायन शास्त्र	केमिकल साइंस	21	संगीत वाद्य	संगीत
4	आर्गनिक रसायन	केमिकल साइंस	22	संगीत गायन	संगीत
5	रसायन भौतिक	केमिकल साइंस	23	चित्रकला	विज़ुअल आर्ट्स
6	वाणिज्य	वाणिज्य	24	दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र
7	नृत्य	परफार्मिंग आर्ट्स	25	भौतिक शास्त्र	फिजिकल साइंस
8	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	26	राजनीति शास्त्र	राजनीति शास्त्र
9	अंग्रेजी	अंग्रेजी	27	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान
10	पर्यावरण विज्ञान	पर्यावरण विज्ञान	28	संस्कृत प्राच्य	संस्कृत ट्रेडीशनल सब्जेक्ट
11	भूगोल	भूगोल	29	संस्कृत	
12	भूगर्भ शास्त्र	अर्थ साइंस	30	संस्कृत व्याकरण	
13	हिन्दी	हिन्दी	31	संस्कृत साहित्य प्राच्य	
14	इतिहास	इतिहास	32	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
15	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान	33	सांख्यिकी	मैथमेटिकल साइंस
16	विधि	विधि	34	उर्दू	उर्दू
17	मराठी	मराठी	35	वेद	संस्कृत ट्रेडीशनल सब्जेक्ट
18	गणित	मैथमेटिकल साइंस	36	प्राणी शास्त्र	लाईफ साइंस

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/0081/2022/Sec-1-38(HED), दिनांक 22.12.2022 द्वारा भौतिकशास्त्र विषय के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	भौतिकशास्त्र(Physics)	1. व्यावहारिक भौतिकी (Applied Physics) 2. पदार्थ विज्ञान (Material Science) 3. इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics)

- (1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिए गए हैं तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- (3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा

(H) आयु सीमा:

1. 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
(मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।)

2. अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2023

- तीन
- (I) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 तक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
 - (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

- (iii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।
- (iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (v) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित हैं। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
- (vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
- (viii) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं, उस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु-सीमा में छूट की पात्रता नहीं होगी तथा उन्हें अनारक्षित पद/पदों के संदर्भ में विचारित किया जाएगा। यदि अनारक्षित श्रेणी का पद विज्ञापित नहीं है, तो केवल उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, जिस श्रेणी के पद विज्ञापित हैं।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

छ: अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया :-

- (1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तियों तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

- (2) परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (3) अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाए जायेंगे केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर सूचित किया जाएगा।
- (4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।
- (5) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी। ओ.एम.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देशा यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

आठ प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड़	नाम	कोड़	नाम	कोड़	नाम	कोड़	नाम	कोड़	नाम
01	भोपाल	02	इन्दौर	03	ग्वालियर	04	जबलपुर	05	सागर
06	उज्जैन	07	शहडोल	08	चंबल	09	रीवा	10	नर्मदापुरम

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आवंटित किया जाए। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आवंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियाँ यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नौ आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट -1
- (ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था परिशिष्ट -2
- (iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ परिशिष्ट -3
- (iv) परीक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -4


सचिव

उच्चतर आयु सीमा में देय छूट

- 1 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

अतिथि विद्वानों को देय आयु-सीमा में छूट :-

उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित है जो 03 वर्ष की विशेष छूट को मिलाकर 48 वर्ष है।

टीप :- उपरोक्त आयु-सीमा में छूट केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

- (2) अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट :-

- 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्वधीन होगी।
- 4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- 5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :-	(01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 बिन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
	(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	(03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।

(तीन)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्वधीन रहेगी।
-------	--

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38/1, दिनांक 20.12.2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषयक के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर शीघ्री भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।
- उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषयक के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर शीघ्री भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 04 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे, वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 दी गई छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों की दी जाएगी, जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

- उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक
वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।		

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. अभ्यर्थी सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो म.प्र. मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। (45+03 वर्ष विशेष छूट = 48वर्ष)	

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -एक में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात् उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्याधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

कार्यालय, प्राचार्य, (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल:

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक:

स्थान:, दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री (अतिथि विद्वान का नाम)
आत्मज/आत्मजा श्री ने इस महाविद्यालय के
..... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न
किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडों की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम
प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

प्रपत्र-2

विषय: _____

अभ्यर्थी का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

अभ्यर्थी को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे :

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें।

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
..... (प्रथम सत्र)							
..... (द्वितीय सत्र)							
..... (तृतीय सत्र)							
..... (चतुर्थ सत्र)							
..... (पंचम सत्र)							
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20):							

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान	
अनुभव के कुल अंक : 	(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
आयु सीमा में छूट : 	
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:	

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

- टिप-1:** आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45+3=48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2:** जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

परिशिष्ट- तीन

सहायक प्राध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

- ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
- उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
 - स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्क की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

- स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
- यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न हो तथा आपकी आँखें स्पष्टतः दिख रही हों।
- टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
- कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करें जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णक, प्राप्तक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।

- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 28.03.2023 से 29.04.2023 तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त

आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/ पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।

11. **अत्यावश्यक :-**

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजॉन्टल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 28.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 27.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 29.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-**

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹250/-	₹ 500/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-**

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए www.mponline.gov.in पर [locateKiosk/CSCsLink](#) देखें। अभ्यर्थी हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

अभ्यर्थी https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे। Click here to Apply Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt Click here to Edit Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status Click Here to View Advertisement
--

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले [Click here to View Advertisement](#) को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी [Click here to Apply](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्राप्ति हेतु इस लिंक) दिखाई देंगी।

Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाएं।

इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे:-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत **Proceed to Payment** का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखे।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटाउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

8. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में **MPPSC** सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना

पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारीयां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारीयां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारीयां अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

2. अन्य निर्देश/ जानकारी :-

- 1 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
- 2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएँ दी जाएंगी।
- 3 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/ केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
- 4 पहचान चिह्न :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिह्न बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिह्न वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
- 5 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
- 6 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. आवेदन की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि

- यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है / उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
5. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-
- 1 परीक्षा का आवेदन पत्र
 - 2 आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
 - 3 आयु संबंधी प्रमाण के लिए - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
 - 4 शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
 - 5 मूल-निवासी / स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र।
 - 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - 7 जाति प्रमाण-पत्र- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाण आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते:-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं _____ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 40/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ

1. मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/ _____ जिला _____, मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं _____ जाति का/ की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

रोल नंबर _____

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

- 8 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

- 9 शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
 - 10 अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
 - 11 विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।
 - 12 अतिथि विद्वान अनुभव प्रमाण-पत्र ।
- उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

टीप -

1. लिफाफे के शीर्ष पर "सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के परीक्षा का रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।
2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएँ ।
3. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :- परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

- 01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
- 07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- 09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- 11 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
 - (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
 - (दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनूशांसा की जाएगी।
 - (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेशपत्र -

01 अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

- (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और
- (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
- (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
- (घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mall द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक से 40/2022 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	केन्द्र शासन/ राज्य शासन/ सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) के विज्ञापन क्रमांक 40/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

रोल नंबर

01. सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट- चार

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

- टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।
- आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
 - गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
 - ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
 - ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
 - उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
 - आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
 - ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -
 - प्रश्नों के उत्तर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
 - ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।
 - हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।
 - ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़ का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

सेल नं.	चित्र 1					
6	8	4	0	2	1	
0	0	0	●	0	0	
1	1	1	1	1	●	
2	2	2	2	●	2	
3	3	3	3	3	3	
4	4	●	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	
●	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	
8	●	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

- परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितान्त प्रावधिक है।
- परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
 02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
 03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
 04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
 निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एस.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर.शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण जर्द किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

- केवल काली स्थायी वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

INCORRECT गलत A B C D	INCORRECT गलत A B C D	INCORRECT गलत A B C D	INCORRECT गलत A B C D	CORRECT सही A B C D
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

- पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
- उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिह्न (•) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
- उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
- प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
- अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने / मिटाने के लिए यदि पेंसिल / व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार - अनुचित साधन :-

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केलक्युलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास,

स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव भगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।
परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों / व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रत्येक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ली उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।

2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/ चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

- 1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
- 2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
- 4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- 5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी भय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्त :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्त :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

60 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:-

1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

- 1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
- 2 परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, कल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।
तेरह - अनुशासन व शालीनता

- 1 परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
- 2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
- 3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
- 4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।